संख्याः शिक्षा–एच(21)बी(15)15/2011.वी
शिक्षा निदेशाालय(उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला– 171001, 1 अगस्त, 2011

सेवा में,

1.समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश ।
2.समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशाला , हिमाचल प्रदेश ।

विषयः शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन बारे निर्देश ।

ज्ञापनः

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि विभाग द्वारा बार–बार दिशा निर्देश दिए जाने के उपरान्त भी पाया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में पारितोषिक वितरण कार्यक्रमों आदि के दौरान आयोजित किए जाने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं का उल्लंघन किया जाता है । इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कभी–कभी अशलील गाने/नशे की प्रवृति से सम्बन्धित गानों या नृत्यों को कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है । इस कारण शिक्षण संस्थानों/समाज में अशलीलता तथा नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, साथ ही विद्यार्थियों तथा समाज में भी गलत प्रभाव पड़ता है ।

अतः यह आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थानों में पारितोषिक वितरण तथा अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत, व क्षेत्रीय कार्यक्रम देश भक्ति के गाने, पारम्परिक तथा सांस्कृतिक गीतों या नृत्यों का ही उल्लेख हो ताकि विद्यार्थियों तथा समाज में इसका अच्छा प्रभाव पड़े व बच्चों में देश भक्ति की भावना पैदा हो ।

अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान अशलील गाने/नशे की प्रवृत्ति से सम्बन्धित गानें या नृत्य प्रस्तुत न हों। यदि ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो उस संस्थान के मुखिया के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्याः सम् शिमलाः 171001, 1अगस्त, 2011
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतुः

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 को उनके पत्र संख्या शिक्षा–11–छ(11)–1/2008 दिनांक 13.07.2011 के सन्दर्भ में।
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश से अनुरोध है कि संस्थाध्यक्षों द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना का मूल्यांकन समय–समय पर करें तथा यदि इस तरह का कोई भी मामला प्रकाश में आता है तो मामला इस निदेशालय के ध्यान में तुरन्त लाया जाए ।
3. जांच शाखा. शिक्षा निदेशालय(उच्च) हिमाचल प्रदेश, शिमला–1।
4. रक्षक नस्ति ।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश ।